BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 19 मार्च 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अतिरिक्त दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को 04 वर्ष 09 माह का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शहबाज पुत्र सिराज निवासी ग्राम व थाना अहार जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष - 2019 में अपनी पत्नी को अतिरिक्त दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिए उकसाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 03.07.2019 को थाना अहार पर मुअसं - 83/19 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.08.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 19.03.2024 को मा0 न्यायालय एफटीसी-04 द्वारा वैकल्पिक धारा 306 भादवि में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शहबाज को 04 वर्ष 09 माह का कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री वीरपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर